



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21042026-271948
CG-DL-E-21042026-271948

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1908]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 20, 2026/चैत्र 30, 1948

No. 1908]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 20, 2026/CHAITRA 30, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2026

का.आ. 1979(अ).— राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस.ओ.1624(अ) दिनांक 28 सितम्बर, 2006, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में दिनांक 28 सितम्बर, 2006 को प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, तथा निम्नानुसार शुद्धिपत्र बनाती है:

[क] “राजस्व प्रभागीय अधिकारी, कुलीथलाई” शब्दों के स्थान पर “विशेष जिला राजस्व अधिकारी, एलए, राष्ट्रीय राजमार्ग, इरोड” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

पादटिप्पणी: मूल अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1624 (ई) दिनांक 28 सितम्बर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) दिनांक 28 सितम्बर, 2006 को प्रकाशित हुई थी।

[फा. सं. NHAI/11012/49/2005/LA-04/BOT-1/3a1 Corr]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
CORRIGENDUM

New Delhi, the 20th April, 2026

S.O. 1979(E).— In exercise of powers conferred by Clause (a) of Section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways No. S.O.1624 (E) dated the 28th September, 2006, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part–II, Section 3, Sub Section (ii), dated the 28rd September, 2006 and corrigendum as follows:

[a] for the words “Revenue Divisional officer, Kulithalai”, the words “**The Special District Revenue officer, LA, National Highways, Erode**” shall be substituted.

Foot Note: The principal notification was published vide number S.O. 1624 (E) dated the 28th September, 2006, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part –II, Section 3, Sub Section (ii), dated the 28th September, 2006.

[F. No. NHAI/11012/49/2005/LA-04/BOT-1/3a1 Corr]

SHAIKH AMINKHAN, Director